दक्षिण मध्य रेलवे

संरक्षा.387/फ्लाई लीफ/12/2022

फ्लाई लीफ नंबर 12/2022

स्टेशन मास्टर ..... ध्यान दें

(साधारण व सहायक नियम का परिशिष्ट-I -- सतर्कता आदेश)

a. गति प्रतिबंध लागू करना :

1. सूचना प्राप्त करनेवाला स्टेशन मास्टर इसकी पावती तब तक नहीं देगा जब तक कि वह प्राइवेट नंबर का आदान -प्रदान करते हुए निकटवर्ती स्टेशन मास्टर को उसकी सूचना नहीं देता हो.
2. प्रभावित ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश नियंत्रित करने वाले ब्लॉक स्टेशनों के स्टेशन मास्टर किसी भी गाड़ी को तब तक अनुमति नहीं देगा जब तक कि;

   a) सेक्शन नियंत्रक और नोटिस स्टेशन/नों के स्टेशन मास्टर को पीएन के आदान-प्रदान के अंतर्गत सूचना न दी जाती हो.

   b) सतर्कता आदेश जारी करने के लिए गाड़ियों को तब तक अनियमित रूप से रोकें जब तक कि नोटिस स्टेशन/नों को गतिप्रतिबंध की सूचना न दी जाती हो.

   c) नोटिस स्टेशन के स्टेशन मास्टर पहली गाड़ी की संख्या और विवरण सूचित करेगा जिसके लिए सतर्कता आदेश जारी किया गया है. तथापि, यदि नोटिस स्टेशन अलग-अलग नियंत्रण सेक्शन/भिन्न मंडलों पर स्थित है, तो सेक्शन नियंत्रक दो भिन्न नोटिस स्टेशनों के बीच समन्वय रखने के लिए जिम्मेदार है.

   d) मंडल मुख्यालय के प्रभारी अधिकारी को सूचना दें जो सतर्कता आदेश तैयार करने के लिए जिम्मेदार है. प्रभारी अधिकारी नामित गाड़ियों द्वारा मंडल से नोटिस स्टेशनों को साइक्लोस्टाइल्ड/कंप्यूटर प्रतियां भेजेंगे. ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध हो, तो सतर्कता आदेश संदेशों को सिस्टम में फीड किया जाए.

b. सतर्कता आदेश तैयार करनाः

1. सतर्कता आदेश में कम से कम **4** प्रतिबंध इंटरपोलेट करने के लिए जगह होनी चाहिए.

2. सतर्कता आदेश के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर और हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, स्टेशन कोड आद्याक्षर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और गाड़ी की दिशा के संबंध में लागू स्थायी और अस्थायी गति प्रतिबंध दोनों भौगोलिक क्रम में मुद्रित किए जाने चाहिए.

3. इन सतर्कता आदेशों में लागू गतिप्रतिबंधों की कुल संख्या, जोड़े और हटाए गए गतिप्रतिबंधों की संख्या का विवरण भी दिया जाएगा.

4. किसी भी त्रुटि या ओवरराइटिंग के मामले में, इसे रद्द कर दिया जाएगा और नया फार्म तैयार किया जाएगा.

c. नोटिस स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा सतर्कता आदेश जारी करने की कार्यविधि:

1. गति प्रतिबंध लगाने/ इनमें संशोधन की सूचना प्राप्त होने पर नोटिस स्टेशन के स्टेशन मास्टर पावती देगा और सुनिश्चित करेगा कि गाड़ियों के चालक दल (एलपी, एएलपी और गाड़ी मैनेजर/गार्ड) को सतर्कता आदेश के माध्यम से चेतावनी दी जाती हो.
2. यदि उनके नोटिस स्टेशन और अगले नोटिस स्टेशन के बीच कोई गति प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, तो 'कुछ नहीं ' सतर्कता आदेश जारी करना सुनिश्चित करेगा.
3. कार्यचालन समय-सारणी में अधिसूचित गाड़ियों के एलपी, एएलपी और गाड़ी मैनेजर/गार्ड को सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा और सतर्कता आदेश की प्राप्ति के प्रमाण के रूप में रखे गए रिकॉर्ड पन्नी या अलग रजिस्टर में स्पष्ट पावती प्राप्त कीया जाएगी.
4. यदि बैंकर इंजन को लगाया जाता है , तो बैंकर इंजन के एलपी और एएलपी को भी सतर्कता आदेश की प्रति जारी किया जाएगा. यदि रास्ते में बैंकर इंजन जोड़ा जाता है, तो उस स्टेशन का स्टेशन मास्टर नोटिस स्टेशन के स्टेशन नियंत्रक या स्टेशन मास्टर से परामर्श करेगा और अगले नोटिस स्टेशन तक एक सतर्कता आदेश जारी करेगा.
5. उप-नगरीय गाड़ियों (एमएमटीएस) के मामले में, लिंक चार्ट के अनुसार पूरे सेक्शन को कवर करने वाले एलपी और गाड़ी प्रबंधक/ गार्ड को एक ही बार सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा, जब तक कि कोई परिवर्तन नहीं किया जाता हो.

d. जब कोई गति प्रतिबंध रद्द किया जाता है, तो स्टेशन मास्टर पीएन के आदान-प्रदान के तहत निकटतम स्टेशन मास्टर , नोटिस स्टेशन के स्टेशन मास्टर और सेक्शन नियंत्रक को सूचित करेगा. इसके बाद, नोटिस स्टेशन का स्टेशन मास्टर संबंधित गति प्रतिबंध को 'काट' देगा और चालक दल को देने से पहले हस्ताक्षर करेगा.

e. सतर्कता आदेश संदेश रजिस्टरों का रिकॉर्ड:

1. प्रति सोमवार को 00:00 बजे भौगोलिक क्रम में लागू सतर्कता आदेशों को अग्रनीत करेगा.
2. 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक पूरे वर्ष में सतर्कता आदेश संदेश रजिस्टर में गति प्रतिबंध को लागू करने और रद्द करने दोनों के लिए सीरियल नंबर का उपयोग किया जाएगा. और 31 दिसंबर को भी लागू सतर्कता आदेशों को 1 जनवरी के सुबह 0000 बजे से खोले गए नए रजिस्टर में अग्रनीत किया जाएगा. पुराने रजिस्टर (31 दिसंबर) में लागू सतर्कता आदेशों का समापन सार नए रजिस्टर (1 जनवरी) के लिए प्रारंभिक सार बन जाएगा. तदनुसार, अग्रनीत सतर्कता आदेश सीरियल नंबर 1 (पुराने सीरियल नंबर के संदर्भ के साथ) से आरंभ होंगे और 1 जनवरी से लागू परवर्ती प्रतिबंधों को पोस्टिंग के लिए अगले सीरियल नंबर दिए जाएंगे.

f. स्टेशन मास्टर ड्यूटी साइन ऑफ करते समय सभी लागू गति प्रतिबंधों के सीरियल नंबर स्टेशन डायरी में दर्ज करेगा. इन प्रविष्टियों पर ड्यूटी साइन ऑन करने वाले स्टेशन मास्टर द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे.

g. सतर्कता आदेशों को सुरक्षित रखना :

1. प्रत्येक दिन दिशा-वार सतर्कता आदेश की मास्टर प्रति को (यदि कोई परिवर्तन हो तो विधिवत शामिल करते हुए) सुरक्षित रखा जाएगा.
2. सतर्कता आदेशों (मास्टर कॉपी) के रिकॉर्ड पन्नों को उपयोग के बाद 6 महीने तक सुरक्षित रखा जाएगा.

***

प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी

संरक्षा संगठन **दक्षिण मध्य रेलवे**